

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवार्य, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **273** /नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री ओम प्रकाश तिवारी	रा०हो०चि०, जिला चि०, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, भिकियासैण, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक,

पत्रांक: **273** /नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **274** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विनोद शर्मा	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, पदमपुरी, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक,

पत्रांक: **274** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **275** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	मो० इमरोज	रा०हो०चि०, लण्ढौरा, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, चौसली, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक,

पत्रांक: **275** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
% निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **276** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री दयाल सिंह बिष्ट	रा०हो०चि०, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।	रा०हो०चि०, बेतालघाट, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **276** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **277** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती नेहा सती	रा०हो०चि०, कुँवरपुर, नैनीताल।	रा०हो०चि०, नौगांव, उत्तरकाशी।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **277** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **278**/नि०हो०/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विवेक व्यास	रा०हो०चि०, जिला चि०, अल्मोड़ा।	रा०हो०चि०, जिला चि०, पौड़ी गढ़वाल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **278** /नि०हो०/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **279** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **०९** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती बबीता गुसाई	रा०हो०चि०, सभावाला, देहरादून।	रा०हो०चि०, जिला चि०, उत्तरकाशी।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक,

पत्रांक: **279** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **280** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अनिल उनियाल	रा०हो०चि०, ऋषिकेश, देहरादून।	रा०हो०चि०, सभावाला, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **280** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: 283 / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: ०९ जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री तिलक राम	रा०हो०चि०, बैजनाथ, बागेश्वर।	रा०हो०चि०, जिला चि०, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 283 / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **284** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री ओम प्रकाश टम्टा	रा०हो०चि०, जिला चि०, बागेश्वर।	रा०हो०चि०, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **284** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **285** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विक्रान्त डिमरी	रा०हो०चि०, चौसली, अल्मोड़ा।	रा०हो०चि०, ऋषिकेश, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/० निदेशक,

पत्रांक: **285** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/० निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **286** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री गणेश प्रकाश	रा०हो०चि०, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक,

पत्रांक: **286** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **287** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री पारेश्वर गौड़	रा०हो०चि०, जिला चि०, उत्तरकाशी।	रा०हो०चि०, लण्डौरा, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **287** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **288** / नि०हो० / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री पंकज थपलियाल	रा०हो०चि०, जिला चि०, पौड़ी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, जिला चि०, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक,

पत्रांक: **288** / नि०हो० / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
०/८ निदेशक।